कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन

क्रमांक /भू–अर्जन/2019 उज्जैन दिनांक

//प्रारम्भिक अधिसूचना//

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इंदौर–देवास–उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम कड़छा तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इंदौर–देवास–उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम–कड़छा

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
इंदौर–देवास–उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत	0.340	—	0.340
योग	0.340	—	0.340

अनुसूची (2)

इंदौर–देवास–उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राम कड़छा की प्रभावित भूमि का विवरण :–

ग्राम– कड़छा तहसील व जिला उज्जैन

क्र0	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं0	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	भैरूसिंह पिता लक्ष्मण जाट नि0 दुधिया तह0 इंदौर	387, 386/1	0.29	0.05	—	0.05	—
2	जगदीश, कनीराम पिता परबत, मीराबाई पति परबत नि0 चैनपुर–हंसखेड़ी	386/2	0.23	0.05	—	0.05	—
3	सुंदरलाल पिता राधाकिशन जाट नि0 चैनपुर हंसखेड़ी	385, 383, 382	1.55	0.10	—	0.10	—

//2//

पृ0 कमांक 4095/भू-अर्जन/2019 उज्जैन दिनांक 7-9-19

प्रतिलिपिः–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल म.प्र. की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
2. अपरसंचालक, (विज्ञापन) जनसम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड भोपाल म.प्र. की ओर दो स्थानीय हिन्दी समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु।
3. उपमुख्य इंजीनियर निर्माण–I पश्चिम रेल्वे इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का समस्त स्तर पर प्रकाशन कराते हुए प्रकाशन की स्थिति के संबंध में समाचार पत्र एवं राजपत्र की प्रति सहित अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग उज्जैन को तत्काल भेजी जावे।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) कलेक्टोरेट जिला उज्जैन की ओर उक्त अधिसूचना समूचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
5. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग जिला उज्जैन (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार उज्जैन की ओर स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, एसडीओ, कार्यालय, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर 03 दिवस में रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन को चस्पा करने हेतु पालनार्थ।
7. पटवारी, ग्राम नौगांवा तहसील उज्जैन से संबंधित अधिसूचना का प्रवाचन संबंधित स्थल पर करवाकर प्रतिवेदन 03 दिवस में अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन को भेजने हेतु पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला उज्जैन